लिंग-निर्णय

-दिव्या
अतिथि शिक्षक, हिन्दी विभाग
वैशाली महिला कालेज, हाजीपुर

शोधांश :—

▷ विशेष :- हिन्दी व्याकरण में लिंग-निर्णय के प्रकरण में जिन नियमों को मानक रूप दिया गया है, वे व्यवहारोपयोगी एवं भाषा-ज्ञान के विकास में सहायक अवश्य हैं, परन्तु केवल इन्हीं नियमों के सहारे भाषागत सभी शब्दों का लिंग स्पष्ट हो जाए यह आवश्यक नहीं है। पहली बात तो यह कि हिन्दी की प्रकृति में अनेक अन्य मूल भाषाओं के शब्द शामिल हैं तथा दूसरी बात यह कि लिंग-निर्णय के जो नियम बतलाये गये हैं उनके

विपरीत व्यवहार में अपवादों की संख्या भी कम नहीं है। तीसरी बात यह कि किसी एक ही शब्द को प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने भिन्न-भिन्न लिंगों में प्रयोग किया है तो कुछ शब्द ही उभयलिंगी (स्त्रीलिंग एवं पुलिंग दोनों) रूप में प्रयुक्त होते हैं।

इस प्रकार यदि देखा जाए तो शब्दों के लिंग-निर्णय में दक्षता प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका भाषा का अभ्यास - श्रवण, पठन एवं वाचन ही प्रतीत होता है। प्रायः हम देखते हैं कि शहरी जीवन में जहाँ खड़ी हिन्दी बोली जाती है, वहाँ एक अशिक्षित सब्जी-विक्रेता या दुकानदार भी प्रायः शुद्ध हिन्दी बोल लेता है,

इसके विपरीत ग्रामीण परिवेश में रहनेवाला शिक्षित व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास के बिना उतनी अच्छी हिन्दी नहीं बोल पाता है। अतएव भाषा की लिंग-संबंधी शुद्धता के लिए नियमों के साथ-साथ भाषा-प्रयोग की नितांत आवश्यकता है।